

न्यायालय अतिरिक्त सिद्धा कलक्टर गंगापूर सिटी
पीताशीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 34/24

तारीख संख्या- 25/09/24

1. अपील पुन संख्या मीना जाति मीना निवासी राम मैडी उम 63 साल निवासी मैडी
ताशील कजीरपुर। -अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जिरिगे नागन ताशीलवार कजीरपुर।

-रेसपोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 06/11/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान गू-राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नागन ताशीलवार कजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 140/24 में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2024 को निरस्त प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राम मैडी के आराजी ख0नं0 1272 रकबा 0.08 हे0 किरम पै0गु0नरामात पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से नैरखल किये जाने, अर्णवण्ड स्वरूप शरित आरोपित करने एवं सिविल काशनारा को दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलार्थीन आदेश संकी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उमय पदा की बहस सुनी गई।

निदान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय सनवानी रुयेवार मिसल होने से कमिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व समूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को मिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समूत पेश करने का अनसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार कहता रहा कि पटवारी गौके पर नहीं गये है। भयंकर पानी बरसात का बरस रहा है और खेतों में पानी बरा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाम तोल के ताशील में बैठकर मलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना है जबकि रिपोर्ट पर ऐसा कोई दरतावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असावैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान में अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

निदान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेशकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई समूत का अनसर प्रदान करने तथा अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये


जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आरजीयात पर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में जी जोत की हुई है, साथ ही पेशेकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उस पर गनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीघार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सशुत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीघारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना एवं बयान में अपीलार्थी द्वारा संवत् 2080 में अतिक्रमण करना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार बर्जीरपुर ने अपने पत्रांक सीडर/2024/136 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वाद आरजीयात पर वर्तमान में मौके पर जोत है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

()
(रामकिशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी